न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 151/2019
GCMS No. : 2019/00226

–:: प्रार्थी ::–

1. बाबूलाल पुत्र मोहनलाल जाति– रेगर, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मोहनलाल पुत्र मनरूप
2. घनश्याम पुत्र मोहनलाल जाति– रेगरों का बास, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।
3. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजियन अधिकारी तहसील जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 09/10/2021

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री शाकिर हुसैन, श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः 12/08/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल के पिता गैरसायल संख्या एक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103/7 रकबा 06 बीघा सायल के कब्जे काश्त की आई हुई है। जिस पर सायल ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सायल ने ही उक्त कृषि भूमि को अच्छी फसल बोर्ने योग्य बनाया तथा वर्तमान में मेहन्दी की फसल बोई हुई है तथा सायल की उक्त कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी सम्पति है नकल जमावन्दी प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। गैरसायल के नाम राजस्व रेकर्ड मे उक्त कृषि भूमि अंकित है जिसमे बतौर उतराधिकारी सायल का ही हक अधिकार निहित है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत ही सायल उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा सायल उक्त कृषि भूमि ... गैरसायल संख्या एक का भरण पोषण करता है चूंकि गैरसायल संख्या एक ... साल का वृद्ध व्यक्ति है जिसका सम्पूर्ण खर्च सायल ही ... अधिक होने के कारण ज्यादा कुछ ध्यान नही रहता। गैरसायल की सम्पूर्ण समस्त आवश्यकताओ की पूर्ति भी सायल ही करता चला आ रहा है इसके अलावा भी परिवार मे भी होने वाले जायज जरूरत आवश्यकताओ की पूर्ति सायल करता चला आ रहा है। उक्त आराजी सायल की पैतृक पुश्तैनी है जिसे बतौर उतराधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रूप एवं माफिक हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत बाई बर्थ (जन्मतः) हक व अधिकार प्राप्त है जो सायल के विधिक उतराधिकारी अधिकार है। गैरसायल संख्या एक की अधिक उम्र होने का फायदा उठाते हुए सायल के कुछ रिश्तेदार सायल को बर्बाद करने की नियत से गैरसायल संख्या दो छलकपट पूर्वक एवं जालसाजी एवं धोखे से सायल को नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त सम्पति को बाले बाले भू माफिया को बेचान करने की योजना बना रहा है तथा गैरसायल संख्या एक को बहकावे मे लेकर बिना किसी जायज जरूरत के ही उक्त सम्पति को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करवाने को आमादा है तथाउक्त सम्पति शहर के पास ही हाईवे पर स्थित होने के कारण अजनबी केता एवं भू माफिया सेमिलकर सायल को नुकसान पहुंचाने की नियत से उक्त सम्पति को खूर्द बुर्द रहन बैचान अन्य हस्तान्तरण कर सायल को उसके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 03.10.2019 को गैरसायल संख्या दो भू माफिया के साथ मिलीभगत कर बाले बाले गैरसायल संख्या एक के नाम से राजस्व रेकर्ड का फायदा उठाते हुए सायल को नुकसान पहुंचाने की नियत से बिना पारिवारिक सलाह मश्विरा किए, बिना किसी जायज जरूरत के ही सम्पति को हडपने की नियत से गैरसायल संख्या एक के वृद्ध एवं बुर्जुग होने का फायदा उठाते हुए उक्त सम्पति को बाले बाले ही बिना गैरसायल संख्या एक को बताये ही बेचान हस्तान्तरण करने की योजना बना रहा है जिसकी भनक सायल को लगी तो सायल ने गैरसायल संख्या दो को ऐसा करने से मना किया तो गैरसायल संख्या दो ने बेचान करने का ऐलानिया कथन किया यदि गैरसायल अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाता है तो सायल को असीम क्षति होगी सायल की बोई लाखो रुपये की महेन्दी की फसल से भी हाथ धोना पडेगा। सायल अपने जायज हक हकूको एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति के विधिक अधिकारों सेमहरूम जायेगा। मौके पर विवाद होगा जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् होगी विविध प्रकार की मुकदमेबाजी बढेगी।

इन तमाम परिस्थितियो मे सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान् के पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जे काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि गैरसायल संख्या 02 गैरसायल संख्या 01 को बिना बताये उसकी वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए गैरसायल संख्या एक का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण वसीयत आदि कर देते है तो सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको व अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी तथा पेचीदगिया बढेगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सरहद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल के पिता गैरसायल संख्या एक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 103/7 रकबा 06 बीघा कृषि भूमि मे सायल काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके बाल बच्चे नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे व न ही गैरसायलान् किसी अन्य अजनबी केता भू माफिया को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावे। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायल प्राप्त करने का अधिकारी हो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद सख्या एक मे दर्ज कथनो का जबाब है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 की सीमा मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 103/7 रकबा 6 बीघा की आई हुई है जो अप्रार्थी संख्या 1 मोहनलाल की स्वयं की खरीद सुदा है उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी भूमि नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या1 मोहनलाल की स्वअर्जित भूमि है। जिसको अप्रार्थी ने दिनांक 09/08/1965 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। रजिस्ट्री की फोटो प्रति जबाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। जिसे जबाब प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तथ्य गलत बेबुनियाद एवं मनगढन्त होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। अप्रार्थी संख्या एक 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है तथा सायल न तो मोहनलाल की देखभाल करता है, न ही भरण ोषण करता है। अप्रार्थी संख्या दो घनश्याम ही मोहनलाल की देखभाल व भरण पोषण करता है तथा शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या तीन का जवाब है कि इसमे वर्णित तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। जब उक्त कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी भूमि नही है तो इसमे हिन्दू उतराधिकार अधिनियम लागु होने व बाई बर्थ हक वअ अधिकार होने का कथन मनगढन्त एवं आधारहीन है। इस कारण अप्रार्थी अस्वीकार करता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित कथन गलत व बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है। सायल [illegible] केवल मात्र काल्पनिक तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है [illegible] खारिज के है तथा सम्पति को खुर्द बुर्द करने का कथन बेबुनियाद है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 5 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित कथन भी बेबुनियार एवं गलत होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करता है सायल बाबुलाल ने केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थनापत्र मे तथ्यो को गलत रूप से प्रस्तुत किया है जिसे अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अस्वीकार करता है। उक्त प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 6 का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम कथन गलत झुठे व बेबुनियाद होने से अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से अस्वीकार करे है प्रथम दृष्टिया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति तीनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे नही है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का न तो खातेदार है न ही सहखातेदार है, न ही उप खातेदार है तथा न ही प्रार्थी का मौके पर कभी कोई कब्जा काश्त रहा हैं एवं न ही प्रार्थी के कोई हक अधिकार एवं हित वादग्रस्त आराजी में है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी खातेदारी अधिकार प्रभावित होगें और अपूरणीय क्षति निश्चित रूप से अप्रार्थी को होना निश्चित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः–

(1) प्रथमदृष्ट्या मामला :– प्रार्थनापत्र एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात् से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने पिता एवं भाई के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होनें एवं इस में प्रार्थी का जन्म से हिस्सा निहित होनें के आधार पर खातेदारी अधिकारों घोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय हाजा में जैरकार है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र में प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 103/7 रकबा 6 बीघा अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल की स्वयं अर्जित आराजी है, जिसे अप्रार्थी मोहनलाल ने दिनांक 09.08.1965 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा से क्रय की थी। प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत बैचाननामा की प्रति से अप्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। अतः वाद पत्र के अनुतोष के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(2) सुविधा का संतुलन :– चुंकि प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ हैं साथ ही प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वर्तमान में उसके पक्ष में निहित उपयोग उपभोग एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, लिहाजा सुविधा का संतुलन खातेदार अप्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

(3) अपूरणीय क्षति :– चुंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी विरुद्ध स[illegible] है, साथ ही अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अप्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति के समान होगा। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरुद्ध स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 12/08/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 12:15:24 IST
Reason: SelfAttested